



(607)।।

दूरभाष - 2286709
2286710

नवा भवन केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ - 220001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : ५९९३ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : ३१ मार्च 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-मऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हुड़ा) को अत्यसंख्यक वाहल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक वाहल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
यूनियन बैंक आफ इंडिया	433802011001024	HSC Code UBIN0558605	172.211
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	परस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	मऊ	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० मऊ	म०० वार्ड न० २७ डोमनपूरा जफरनगर में ईदगाह रो हाफीज का मकान होते हुए ईदगाह के दक्षिणी छोर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.772
2	मऊ	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० मऊ	म०० वार्ड न० २७ डोमनपूरा जफरनगर में ऐंगुलठक के घर से मुस्ताकीम का घर होते हुए जापेद के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	5.165
3	मऊ	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० मऊ	म०० वार्ड न० २७ डोमनपूरा जफरनगर में द्रानाकार्मर रो परयेज का घर होते हुए उमर रो अल्कहत तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.654
4	मऊ	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० मऊ	म०० वार्ड न० २७ डोमनपूरा जफरनगर में लतीफ के घर से रालीम व ईकबाल का घर होते हुए गुहरता तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.069
5	मऊ	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० मऊ	म०० वार्ड न० २७ डोमनपूरा जफरनगर में अनलार के घर से अरशद व अनवारुल का घर होते हुए गफकार के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.225
6	मऊ	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० मऊ	म०० वार्ड न० २७ डोमनपूरा जफरनगर में तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.930
7	मऊ	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० मऊ	म०० वार्ड न० २७ डोमनपूरा जफरनगर में मरिजाद रो समद के अहाते तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.658
8	मऊ	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० मऊ	म०० वार्ड न० २७ डोमनपूरा जफरनगर में बन्दे रो पुलिस चौकी होते हुए आलिया हाई रकूल तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.800
9	मऊ	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० मऊ	वार्ड सं० १४, गुरीपूरा में बदरुददीन के घर से मलालू तथा रिजवान रो मरिजाद, दर्सीम से यूसुफ एवं सुफिया का घर होते हुये पुलिया एवं विरामल्लाह खान डाइवर के घर तक इण्टरलाकिंग राडक एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	16.836



607(2)

2286709
2286710

नव लोकनगर केन्द्र 10 असामी गार्ड लखनऊ 226004

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र० सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
10	गजे	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मरु	वाड़ सं0 14, मुशीपूरा में इफितरखार के मकान से तालीमुलकुरान मदरसा एवं अनवार, शौकत, इरफान खान का घर होते हुये हफीजुरहमान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	15 043
11	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मरु	वाड़ सं0 14, मुशीपूरा में मकसूद तेली के मकान से इशाद, हकीम, अरशाद, सगीर का घर होते हुये सफदर से मुस्तका भरिजद तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	12.536
12	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मरु	वाड़ सं0 14, मुशीपूरा में नरीम के घर से आशिफ, अयाज मुगौदर के घर तक एवं मुख्यार व नेयाज अहगढ के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.315
13	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मरु	वाड़ सं0 14, मुशीपूरा में फेज के घर से जहारीर, अब्दुलहसन यूसुफ, गोरा मुहम्मद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	13 208
					172.211

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य बरितयों तथा मलिन बारितयों में सी०सी० रोड अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की रथापना योजना-निर्मात भिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

- 1— ०३० राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अत्यरिक्त बाहुल्य वासियों वशा नाला वास्तविक अथवा इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु रवीकृत शीर्षोंग्राही/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।

2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा लेकअप न कर लिया जाये।

3— प्रश्नगत परियोजना में प्रत्यावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी रवीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के राष्ट्रेक्षण यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि रवीकृत नहीं की गई है वशा न भी यह कार्य केरी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शाराकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रिक्ति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई रवीकृत/अनापूर्ति अन्य विभागों से लेना हो तो सुनिश्चित किया जाये।

6— प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख्य रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की राहमति ले ली जाये।

8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये वशा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा। पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की जायेगी।

9— उक्त धनराशि द्वारा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्णों के अनुसार निश्चित मद में व्यय की जायेगी एवं रवीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि स ही समय से पूर्ण हो जायें।



- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व घासानियम केन्द्र, राज्य व रथानीय कर्म की स्त्रोत पर कठीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्तों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के नियंत्रित मानकों का अनुपालन भी रुक्षीरित किया जायेगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रवीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई पनराशि के क्रम में धनराशि जनपद का अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकेत कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावति हो रही हो तो उसकी सूचना सुनिश्चित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमत्य सेटेज की धनराशि एवं गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यवहार शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रत्यक्ष रिह)
वित्त नियंत्रक

(लाल प्रत्यक्ष रिह)
वित्त नियंत्रक

पक्षांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अमर निदेशक, सूडा।।
- आंशिक अभियन्ता-सूडा।।
- कम्प्यूटर रोल/लेखा किमान-सूडा।।